I/1446/2024

I/1446/2024

संख्या 1446/ जी0एस0(शिक्षा) / A3-119(3) / 2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 02 अप्रैल, 2024

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 230901104856, दिनांक 24.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को एम0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत महाविद्यालय / संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन / स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।	एम0ए0 (हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र)	30 सीट प्रति विषय	2023–24

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान में अग्रेत्तर सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व पुस्तकें एवं प्राभूति मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा, यदि किसी भी मानक के अपूर्ण होने के कारण छात्रों के हित प्रभावित होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम / नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 04/04/2024 04:16 pm

I/1446/2024

I/1446/2024

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 02-04-2024 15:02:25

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1446 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-119(3)/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ?

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

– ह0 –

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Generated from eOffice by MANJEET SINGH, ARO-MS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Rajbhawan on 04/04/2024 04:16 pm